भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी / यू0पी0 / 06 / 267 / 2022 / एफ.सी. /725 दिनाँक: 30.11.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/OTHERS/30687/2017

विषय: कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग संख्या 62 पी0ए0 के चैनेज 5.924 से 5.959 दांयी पटरी पर ग्राम ईटगांव तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थित खसरा / गाटा संख्या–821 में रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनभूमि 0.114123 हे संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक : 1721 / 11–सी–FP/UP/Others / 30687 / 2017, दिनांक 17.11.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1556 / 81–2–2022–800(37) / 2022, दिनांक–06.09.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गईं थीं, जिसकी अधूरी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। अतः विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. Revised kml. File of area proposed for CA needs to be uploaded on Parivesh Portal.
2. No clarification or correction has been made in part-ii of the proposal since the proposal is for Ex-post facto approval therefore details of violation should be mentioned therein.
3. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable. The State Govt. should inform about the action taken under IFA 1927.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग पीलीभीत वन प्रभाग पीलीभीत
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 कमला नेहरु मार्ग बरेली।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु / आदेश पत्रावली।

30.11.22

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)